न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00141 (141/2020) 225 आरटीएक्ट

कालुराम पुत्र स्व. श्री लेखराम जाति चमार निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाबी देवी पत्नि स्व. श्री भूराराम पुत्र लेखराम जाति चमार निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. दिनेश पुत्र स्व. श्री भूराराम पुत्र लेखराम जाति चमार निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रानी पुत्री स्व. भूराराम पत्नि कालुराम जाति चमार निवासी मैनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पुत्री स्व. भूराराम पत्नि राजू जाति चमार निवासी गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. पूनम पुत्री स्व. भूराराम पत्नि सतपाल जाति चमार निवासी गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. ज्याणी पूत्री स्व. भूराराम पत्नि कानाराम जाति चमार निवासी गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. प्रेमकुमार } पिसरान स्व. लेखराम जाति चमार निवासीगण धोलीपाल तहसील
8. जगदीश } व जिला हनुमानगढ़।
9. राजकुमार
10. कमलादेवी पुत्री स्व. लेखराम जाति चमार निवासी धालीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़, जरिये शाखा प्रबंधक।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमागनढ़ वाद सं. 164/2011 बअनवानी "गुलाबी देवी बनाम कालूराम"

उपस्थितः—

श्रीमति शकुन्तला भाटिवाल अधिवक्ता अपीलांट।

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ता 10

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 12

निर्णय दिनांक — 14.09.2021

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2017 द्वारा अपील सं0 71/2014 अनवानी कालूराम बनाम गुलाबी देवी आदि अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार होने के बाद प्रकरण न्यायालय हाजा का रिमांड किया गया। अदालत हाजा का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमांड कर दिया गया है लेकिन इस दौरान वादीगण द्वारा निर्णय डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरण जरिये नामान्तरण सं. 273 दिनांक 08.11.2013 द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। चुंकि अब निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2012 व 10.10.2013 राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त फरमाई गई है अतः राजस्व अभिलेख में भी उक्त नामान्तरण अस्तित्वहीन हो गया है। अपीलांट द्वारा राजस्व अभिलेख में नमांतरण सं. 273 दिनांक 08.11.2013 को निरस्त कर पूर्व की स्थित बहाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में कथन किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। विधिसम्मत रूप से अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन की है लेकिन प्रार्थी को उक्त आदेश का किसी भी तरह से ज्ञान नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.12.2019 का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 23.10.2020 को हुआ जब अपीलांट ने अपने वकील से जाकर सम्पर्क किया और तारीखें अनिश्चित होने के कारण पत्रावली का अधीनस्थ न्यायालय में पता नहीं लग रहा था व कोविड 19 के कारण अधिवक्ता न्यायालयों में उपस्थिति नहीं दे रहे थे, ज्ञान होने पर अपीलांट ने आदेश दिनांक 24.12.2019 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की। सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होन पर ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः दफा 5 का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियाद अन्दर स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो विधि विरुद्ध रूप से दिनांक 24.12.2019 को बिना आधार के निरस्त फरमाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24.07.2017 के द्वारा अपील सं. 71/2014 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ रिमांड किया गया कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावे। निर्णय दिनांक 24.07.2017 के जरिये अधीनस्थ न्या[illegible] दिनांक 09.10.2013 व 10.10. 2013 निरस्त हो चु[illegible] विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरण जरिये ना[illegible] 2013 रेस्पो. के नाम दर्ज

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हो चुका है। अब चुंकि निर्णय व डिक्री निरस्त हो चुकि है इसलिए उसके आधार पर किया गया नामान्तरण भी राजस्व अभिलेख में अस्तित्वहीन है। अतः राजस्व अभिलेख में 08.11.2013 की स्थिति निरस्त कर रिकार्ड की पूर्व स्थिति बहाल की जावे। रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण रिमांड किया गया है जिसमें अंतिम निर्णय एवं डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा जारी की जानी है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का मनमाने रूप से गलत अर्थ निकालकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्ती के काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 निरस्त किये जा चुके हैं तो इनके आधार पर दर्ज नामांतरण सं. 273 दिनांक 08.11. 2013 का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रावधानों की पालना का आधार लेते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.07.2017 के निर्णय को अंतिम नहीं माना है बल्कि न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर रिमांड किये जाने से प्रकरण विचाराधीन होने तथा अंतिम निर्णय पारित नहीं होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय दिनांक 24.12.2019 अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में तर्क किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की दफा 1 कतई असत्य एवं असद्भावी होने के कारण अस्वीकार है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवायी करते हुए अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया था। जिसका ज्ञान व जानकारी अपीलांट को 24.12.2019 को ही हो चुकी थी। प्रार्थना पत्र की दफा 2 असत्य एवं मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। अपीलांट को दिनांक 24.12.2019 से लेकर 23.10.2020 तक जानकारी किस कारण नहीं हुयी, इसका कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है। माननीय न्यायालय में जो अधिवक्ता पैरवी कर रहे है अधीनस्थ न्यायालय में भी वही अधिवक्ता पैरवी करते रहे है तथा अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित दर्ज करवाते रहे है। इसलिए अपील अपीलांट दस माह की देरी से पेश की गयी होने के कारण काबिल खारिज के है। अतः अपील अपीलांट 10 माह देरी से प्रस्तुत की गई है जो कतई मियाद बाहर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2017 द्वारा अपील सं0 71/2014 अनवानी कालूराम बनाम गुलाबी देवी आदि अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायायल के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमांड कर दिया गया है लेकिन इस दौरान वादीगण द्वारा निर्णय डिक्री दिनांक 09.10.2013 व 10.10.2013 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरण जरिये ना[illegible] [illegible]1.2013 के द्वारा हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने पूर्व स्थिति बहाल करने के संबंध में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चुंकि अब निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री दिनांक 09.10.2012 व 10.10.2013 राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त फरमाई गई है। अतः राजस्व अभिलेख में भी उक्त नामान्तरण अस्तित्वहीन हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 का ज्ञान दिनांक 23.10.2020 को हुआ। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपीलाण्ट का यह कारण स्वीकार्य नहीं है जबकि उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी कर रहे थे और आदेश पारित होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है साथ ही अपील भी खारिज की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.21

(करतारसिंह पूनियाँ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

अपील अधिकारी राजस्व हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested